

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक मान्यता/ 2152-57 / 2014-15

दिनांक 30-08-2014

प्रबन्धक

कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल,

बडौरा, विकास खण्ड- कासिमाबाद,

गाजीपुर।

विषय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रावधान के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

संदर्भ/सूचना

आपके तारीख 09-09-2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल को तारीख 30-08-2014 से तारीख 29-08-2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 (आठ) तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त नर्सरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

- मान्यता की नर्सरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वाध्यात्मिक व्यवस्था नहीं है।
 - विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 - नै 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। इसी प्रतिपूरित्य प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - समावेष्ट/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रह नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्वीकृत प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 26 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निशक्ता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों को नती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु वह और कि विद्यमान अध्यापक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपन कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

6. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेंगे। अनियमित निरीक्षण के समय वेगट की गई प्रतुविवाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	- दो एकड़।
कुल निमित्त भू-तल	- 26000 वर्ग मीटर।
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	- 10000 वर्ग मीटर।
कक्षाओं की संख्या	- ग्यारह (11)
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-समाचार के लिए कम	- दो (02)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	- उपलब्ध
पंचजन सुविधा	- उपलब्ध
मिह-डब-मिह पकाने के लिए रसोई	- उपलब्ध
बिद्युत् संचालित पंख	- उपलब्ध

अध्ययन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालयों की उपलब्धता- उपलब्ध

- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जायेगी।
- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980 (1980 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रत्यक्ष किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **L-8(E)06/2014** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस विद्यालय के सभी किताब पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक, जिला बसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्रधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- समान उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

7/30/08/17

(संजीव कुमार सिंह)

जिला बसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांकन संख्या मान्यता / /2014-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- शिक्षा निदेशक (बसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सचिव उत्तर प्रदेश बसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक (बसिक), वाराणसी मण्डल वाराणसी।
- 4- वित्त एवं लेखाधिकारी बसिक शिक्षा गाजीपुर।
- 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजीपुर।
- 6- कार्यालय प्रति।

जिला बसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।